एम0 देवराज
आई0ए0एस0

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377 (का0) फैक्स – (0522) 2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 28 /मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0–2/2020–21 दिनांकः 28 फरवरी, 2021

विषय– एल0एम0वी0–1 (घरेलू) एवं एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) श्रेणी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के लिये 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ़ी हेतु ''एकमुश्त समाधान योजना'' लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदया/महोदय,

समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.03.2021 से 15.03.2021 तक एल0एम0वी0–1 (घरेलू) एवं एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) श्रेणी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के लिये **''एकमुश्त समाधान योजना''** लागू की गयी है।

उपरोक्त योजना का सम्पूर्ण विवरण संलग्न करते हुये अनुरोध है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्याः /मु0अ0(वाणिज्य)सीयू–दो/ओ0टी0एस0/2020–21तद् दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ससंलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक (वित्त/वाणिज्य/वितरण/कॉ0प्ला0/का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता(आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(एम0 देवराज)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

"एकमुश्त समाधान योजना का पूर्ण विवरण"

विषय– एल0एम0वी0–1 (घरेलू) एवं एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) श्रेणी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के विलम्बित भुगतान अधिभार की 100 प्रतिशत छूट हेतु "एकमुश्त समाधान योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त एल0एम0वी0–1 (घरेलू) एवं एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) के बकायेदारों को उनके दिनांक 31.01.2021 तक के विद्युत बकाये पर सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

1. **योजना में पंजीकरण की अवधि :–**

यह योजना दिनांक 01.03.2021 से 15.03.2021 तक लागू रहेगी। बकायेदार उपभोक्ता इस अवधि में अपना पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

2. **पंजीकरण :–**

उपभोक्ता को योजना में पंजीकरण सम्बन्धित अधि0अभि0/एस0डी0ओ0 कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर ऑनलाइन कराना होगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं भी योजना में पंजीकरण उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट www.upenergy.in पर करा सकेंगे।

3. **योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया :–**

इस योजना का लाभ पाने हेतु उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं का योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगी। योजना में उपभोक्ता के ऑनलाइन पंजीकरण के समय खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण यथा पंजीकरण हेतु देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान की स्थिति इत्यादि परिलक्षित होंगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता का फोन नम्बर एवं बिल संशोधन का विकल्प अवश्य लिया जायेगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके माह जनवरी 2021 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं दिनांक 31.01.2021 के उपरान्त के वर्तमान देयों को एक साथ जमा करना होगा जिसके बाद ही उनका पंजीकरण पूर्ण होगा। पंजीकरण के बाद यदि उपभोक्ता बिल संशोधन का विकल्प चुनता है तो सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का विकल्प दर्ज होने की तिथि से अधिकतम 07 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाईन संशोधित करें, जिससे उपभोक्ता को तत्काल एस0एम0एस0 के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाये। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाईट पर देख सकता है। किसी भी स्थिति में मैन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा एवं सभी भुगतान ऑनलाइन–ओ0टी0एस0 मद में ही लिये जायेंगे।

4. <u>अनुमन्य छूट देने की प्रक्रिया</u> :–

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–1 (घरेलू) एवं एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) दर श्रेणी के पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 31.01.2021 तक के बकाये पर लगे विलम्बित भुगतान अधिभार को छोड़ते हुए भुगतान करने की तिथि तक की सम्पूर्ण देय धनराशि (अर्थात 31.01.2021 तक का मूल बकाया + 31.01.2021 के बाद से भुगतान करने की तिथि तक सृजित समस्त मासिक बिल + 31.01.2021 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार, पंजीकरण के समय प्राप्त कर ली गई राशि को छोड़ते हुए) का एकमुश्त भुगतान विलम्बतम् दिनांक **31.03.2021** तक अवश्य जमा करना होगा। किश्तों में भुगतान की सुविधा सी0एस0सी0 पर उपलब्ध नहीं होगी। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर दिनांक 31.01.2021 तक के बकाये पर लगा विलम्बित भुगतान अधिभार शत–प्रतिशत समाप्त कर दिया जायेगा। अन्यथा उनका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जायेगा तथा पंजीकरण के समय जमा राशि में से रु0 2000/– अथवा वास्तविक जमा राशि, जो भी न्यूनतम हो, जब्त कर शेष जमा धनराशि को बकाये में समायोजित करते हुये उसके बिल में पुनः अधिभार का निर्धारण कर दिया जायेगा।

5. <u>बिल संशोधन की प्रक्रिया</u> :–

कुछ उपभोक्ताओं के विवादित देय धनराशि, कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल का संशोधन व अवास्तविक धनराशि के अपलेखन हेतु उपखण्ड अधिकारी (एल0एम0वी0–1 हेतु)/अधिशासी अभियन्ता (एल0एम0वी0–5 हेतु) से निम्न स्तर का कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा। अतः जिन बकायेदारों के बिल संशोधित होने हैं उनको पंजीकरण के पश्चात शुद्ध बिल जारी करना उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का उत्तरदायित्व होगा।

6. पूर्व में लागू की गयी 'आसान किश्त योजना' (एल0एम0वी0–1 हेतु) में पंजीकृत उपभोक्ता अपने निर्धारित किश्तों का भुगतान यथावत् करते रहेंगे। उपरोक्त योजना के ऐसे उपभोक्ता जिनका पंजीकरण किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया गया है, वह इस योजना में पंजीकरण हेतु अर्ह होंगे।

7. इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। उ0प्र0 शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नहीं रहेगी।

8. इस योजना के अर्न्तगत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। इन उपभोक्ताओं के पंजीकरण की कार्यवाही नहीं की जायेगी, वरन ऐसे उपभोक्ताओं के पी0डी0 फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना मैन्यूअली करते हुए अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन (waiver) कर इनकी पी0डी0 ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।

9. इस योजना के अर्न्तगत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेविट इस आशय का प्राप्त किया जायेगा कि योजना के अन्तर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगे। वितरण निगम द्वारा बिल मैनुअली संशोधित करके उसे ऑनलाइन फीड किया जायेगा एवं उसका भुगतान ऑनलाइन ही प्राप्त किये

जाने के उपरान्त ही निर्गत संशोधित बीजक में अंकित अधिभार की धनराशि मॉफ मानी जायेगी अन्यथा सम्पूर्ण बीजक की राशि ही बकाया रहेगी।

10. उपरोक्त सभी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। इससे भविष्य में त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत नहीं होंगे।

11. योजना में पंजीकृत बकायेदार उपभोक्ताओं को फ्लैग (टैगिंग) किया जायेगा।

12. उपरोक्त योजना में माफ की गयी विलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशि का वहन सम्बन्धित वितरण निगम द्वारा अपनी RoE (Return on Equity) की धनराशि से किया जायेगा।

13. उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्राप्त आवेदनों के बिल रिवीजन की प्रगति का अनुश्रवण ऑनलाइन प्रणाली पर उपलब्ध सूचना के माध्यम से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता(वितरण)/मुख्य अभियन्ता (वितरण)/डिस्काम मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

14. उपभोक्ताओं के पंजीकरण एवं बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक